संख्या–वे0आ0–2– 388/ दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद के वेतनमान रू0 12000– 16500 को उच्चीकृत कर वेतनमान रू0 14300–18300 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–4 (37400–67000) तथा ग्रेड वेतन रू0 8700/– दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रुप से अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ/नकद भुगतान तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(2) वरिष्ठ वास्तुविद के पद पर भी अधीक्षण अभियंता के समान ही उच्चीकृत वेतनमान रु0 14300–18300 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–4 (37400–67000) तथा ग्रेड वेतन रू0 8700/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(3) उप राजस्व अधिकारी के वर्तमान वेतनमान रू0 6500–10500 को उच्चीकृत कर वेतनमान रू0 7500–12000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) तथा ग्रेड वेतन रू0 4800/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(4) जिलेदार के पद पर वर्तमान वेतनमान रु0 4500–7000 को उच्चीकृत कर वेतनमान रु0 5000–8000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) तथा ग्रेड वेतन रू0 4200/– तत्काल प्रभाव से इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया जाय कि भविष्य में जिलेदार के 25 प्रतिशत पदों पर लोक सेवा

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती स्नातक शैक्षिक अर्हता के साथ की जाय।

(5) मुंशी के पद पर वर्तमान वेतनमान रू0 3050–4590 के स्थान पर सींच पर्यवेक्षक के समान वेतनमान रु0 4000–6000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) ग्रेड वेतन रू0 2400/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय। हेड मुंशी के पद पर वर्तमान वेतनमान रू0 3200–4900 के स्थान पर वेतनमान रु0 4500–7000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) ग्रेड वेतन रू0 2800/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(6) तारबाबू संवर्ग के पदधारकों द्वारा किये जा रहे कार्यों को सींचपाल/सींच पर्यवेक्षक से कराया जाय। तारबाबू ग्रेड–2 के भविष्य में रिक्त होने वाले पदों को भरा न जाय तथा कार्यात्मक आवश्यकतानुसार रिक्त होने वाले इन पदों को सींचपाल के पदों में परिवर्तित कर दिया जाय।

(7) सिंचाई विभाग के अभियंत्रण संवर्ग के संगठनात्मक ढॉचें को निम्ननुसार पुनर्गठित किया जाय :––

क0 सं0	पदनाम	पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन संरचना में संस्तुत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सहायक अभियन्ता	8000–13500	15600–39100 (ग्रेड वेतन 5400)	1588	1588
2	अधिशासी अभियन्ता	10000–15200	15600–39100 (ग्रेड वेतन 6600)	591	574
3	(1)अधीक्षण अभियन्ता	12000–16500	37400–67000 (ग्रेड वेतन 8700)	137	137
	(2)अधीक्षण अभियन्ता सेलेक्शन ग्रेड	14300–18300			
4	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	16400–20000	37400–67000 (ग्रेड वेतन 8900)	25	37
5	मुख्य अभियन्ता स्तर–1	18400–22400	37400–67000 (ग्रेड वेतन 10000)	08	12
6	प्रमुख अभियन्ता	22400–24500	67000–79000	02	03
योग				2351	2351

(8) उपर्युक्तानुसार पुनर्गठन के फलस्वरूप प्रमुख अभियन्ता स्तर के तीन पद हो जायेंगे। प्रमुख अभियन्ता स्तर के उक्त तीन पदों के मध्य कार्य एवं उत्तर दायित्वों तथा अधीनस्थ कार्यालयों का निर्धारण सिंचाई विभाग द्वारा अपनी कार्यात्मक आवश्यकता के अनुरुप किया जायेगा।

(9) संवर्गीय पुर्नगठन के फलस्वरूप सृजित होने वाले उच्च वेतनमान के पदों के लिये ढॉचागत सुविधा तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की व्यवस्था वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों/कर्मचारियों से ही की जायेगी और इस हेतु ढॉचागत व्यवस्था तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के पदों के सृजन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(10) सामान्य श्रेणी के पदों यथा चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक, कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद, लिपिक श्रेणी आदि के सम्बन्ध में सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ अलग से दी जा चुकी हैं। सिंचाई विभाग के सामान्य श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में भी तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(11) सिंचाई विभाग के अन्य किसी पद/संवर्ग की वेतनमान विसंगति का मामला समिति के संज्ञान में नहीं है।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या—वे0आ0—2—388 (1)/दस—54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।